न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 145/2021 GCMS No 2021/319
दायरा तिथि : 21.12.2021
फैसला तिथि : 28-09-22
प्रार्थीगण::–

1. रूपसिंह पुत्र पबसिंह
2. महावीरसिंह पुत्र पबसिंह
3. भीकी कुंवर पुत्री पबसिंह
4. दाकू कुंवर पुत्री पबसिंह तमाम जाति राजपुत
   निवासीगण बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री हेमन्त बोहरा ..... अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार

दिनांक 28-09-22

–:: आदेश ::–

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी पेश कर ग्राम बेडा प्रथम के गत् खसरा नंबर 827 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा (0.56 हैक्टर) हाल खसरा नंबर 76 रकबा 0.56 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन मगरा का खातेदार इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि प्रार्थीगण के स्व0 पिता पबसिंह पुत्र लालसिंह को सरहद बेडा प्रथम के गत् खसरा नंबर 827 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि का नियमन किया गया था, जिस नियमन आदेश की पालना में पटवारी हल्का बेडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 218 खोला गया तथा नामान्तरकरण स्वीकृति के बाद जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 में प्रार्थी के पिता स्वर्गीय पबसिह पुत्र लालसिंह को बेडा प्रथम के गत् खसरा नंबर 827 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा का खातेदार दर्ज किया गया। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता के जीवनकाल में पिता का तथा पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण का आज दिन तक काश्त व कब्जा चला आ रहा है। परन्तु भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् मिलान क्षैत्रफल व मौका स्थिति अनुसार बेडा प्रथम के गत् खसरा नंबर 827 से बने हाल खसरा नंबर 76 को राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया। भूमि राजकीय सिवाय चक दर्ज होने से भूमिधारी तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधि प्रार्थीगण के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत बेदखली की कार्यवाही का नोटिस देते है। जिससे भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटियो को दुरस्त करने के अधिकार भू0प्रबन्ध अधिकारी के बतौर इस न्यायालय को होने से दुरस्ती के माध्यम से प्रार्थीगण के पिता को नियमन शुदा तथा भू0प्रबन्ध पूर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज के अनुसार दुरस्ती के माध्यम से हाल खसरा नंबर 76 रकबा 0.56 हैक्टर का खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य राजस्व केम्प 2015 में दिनांक 11.06.2015 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की की फोटो प्रति, जांच रिपोर्ट केम्प दिनांक 11.06.2015 की फोटो प्रति, नामान्तरकरण संख्या 218 की प्रति, जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 की प्रति, मिलान क्षैत्रफल की प्रति, धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र पबसिंह, हाल नोटिस की प्रति, नियमन आदेश की प्रति पेश की गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी तहसीलदार, बाली की ओर से राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार ने बिन्दुवार पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का खण्डन कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नंबर 76 व 514 राजकीय सिवायचक भूमि पर कब्जा किया जाने से धारा 91 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाना विधि सम्मत है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने पिता को ग्राम बेडा प्रथम के गत् खसरा 827 में नियमन शुदा भूमि के हाल खसरा नंबर 76 बनना उल्लेखित करते हुये हाल खसरा नंबर 76 मेंसे 0.56 हैक्टर की दुरस्ती के माध्यम से खातेदारी दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा है, परन्तु मिलान क्षैत्रफल के अनुसार गत् खसरा नंबर 827 व 827 मी. के हाल खसरा नंबर 29, 30, 74, 75,, 77, 205, 206 व, 76/4771 बने है। जिससे मिलान क्षैत्रफल से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि नहीं होने से दुरस्ती के माध्यम से प्रार्थीगण को अनुतोष नहीं दिया जा सकता। प्रार्थीगण इसके लिये नियमित घोषणात्मक वाद के द्वारा ही अपना अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 145/2021 GCMS No 2021/319
अनवान रूपसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष का जवाब प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री हेमन्त बोहरा ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण के स्व0 पिता पबसिंह पुत्र लालसिंह को मौजा बेडा प्रथम के गत् खसरा नंबर 827 में रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 01.01.1971 को नियमन हुई थी। जिस नियमन की आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 218 भरा जाकर ग्राम बेडा प्रथम के गत् खसरा नंबर 827 मी. में 3 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार प्रार्थीगण के पिता पबसिंह पुत्र लालसिंह को दर्ज किया गया। तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर सैटलमेंट पुर्व की जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 में प्रार्थीगण के पिता पबसिंह को गत् खसरा नंबर 827 मी. रकबा 3 बीघा 10 किस्म बारानी तृतीय का खातेदार दर्ज किया गया। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गत् खसरा नंबर 827मी. के हाल खसरा नंबर 76 कायम किये गये। जिसको राजकीय सिवायचक दर्ज करते हुये प्रार्थीगण के पिता को नियमनशुदा भूमि भी सम्मिलित कर दी गई। जबकि प्रार्थीगण अपने पिता को नियमनशुदा भूमि पर पिता के जीवनकाल के समय से काबिज काश्त चले आ रहा है। भू0प्रबन्ध विभाग को किसी व्यक्ति की खातेदारी को विना किसी आदेश के विलोपित करने के अधिकार नहीं है। जिससे भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा अधिकारिता के विरूद्व की कार्यवाही दोषपुर्ण होने तथा उक्त कार्यवाही से प्रार्थीगण के पिता को नियमन शुदा भूमि जिसका भू0प्रबन्ध पुर्व के अधिकार अभिलेखों जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 में बतौर खातेदार अंकन हो चुका था, इसके बावजुद भू0प्रबन्ध बाद के लेखो में सिवायचक दर्ज करना कानूनी भूल है। तथा भू0 प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने से भू0प्रबन्ध के दौरान् की गई त्रुटियो को दुरस्त करने का अधिकार बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर इस न्यायालय को होने से दुरस्ती के जरिये ग्राम बेडा प्रथम के गत् खसरा नंबर 827 मी रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा के भू0 भाग से बने हाल खसरा नंबर 76 मेंसे रकबा 0.56 हैक्टर का दुरस्ती के माध्यम से प्रार्थीगण को खातेदार दर्ज किये जाने की दलील दी। वकील प्रार्थीगण की दलीलो का खण्डन करते हुये अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने तर्क दिया कि ग्राम बेडा प्रथम स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 76 रकबा 17.10 हैक्टर वर्तमान अधिकार अभिलेखों में राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है। प्रार्थीगण ने दुरस्ती के प्रार्थना पत्र में ग्राम बेडा के गत् खसरा नंबर 827 मी. के हाल खसरा नंबर 76 बनना वर्णित किया है, परन्तु भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षैत्रफल से इसकी पुष्टि नहीं होती है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार ग्राम बेडा प्रथम के हाल खसरा नंबर 76 गत् खसरा नंबर 827 मी. व 758 मी. से बने है। इस प्रकार प्रार्थीगण का अनुतोष इन्द्राज दुरस्ती का न होकर घोषणात्मक अनुतोष है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि ग्राम बेडा प्रथम के गत् खसरा नंबर 827 मी. रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थीगण के पिता पबसिंह वल्द लालसिंह कौम राजपुत को नियमन होकर भू0प्रबन्ध पुर्व की जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। परन्तु भू0 प्रबन्ध बाद के अधिकार अभिलेखों में भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज होने का आधार बनाते हुये उक्त दुरस्ती प्रार्थना पत्र पेश किया। अपने प्रार्थना पत्र में हाल खसरा नंबर 76 मेंसे 0.56 हैक्टर की खातेदारी दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा। परन्तु प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 76 रकबा 17.10 हैक्टर गत् खसरा नंबर 827 मी. एवं गत् खसरा नंबर 758 मी. से बना है। इस प्रकार मिलान क्षैत्रफल से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाई है। जिससे धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से हाल खसरा नंबर 76 मेंसे मात्र 0.56 हैक्टर की खातेदार प्रदान किया जाना न्याया संगत प्रतीत नहीं है। इसके लिये प्रार्थीगण को प्रोपर फोर्म वाद के जरिये ही अपना अनुतोष प्राप्त करना होगा।

अतः ग्राम बेडा प्रथम के हाल खसरा नंबर 76 में रकबा 0.56 हैक्टर की दुरस्ती के माध्यम से प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग को अस्वीकार करते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

(सुश्री ... मीना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 28-09-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner